...यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
खेमराम बनाम धम्मा वगै0

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.10.2024	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष (प्रार्थी,अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.12.2024 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष आराजी हाल ख0 नं0 261 रकबा 0.03है0, 50 रकबा 0.71है0, 796/262 रकबा 0.02है0, 797/262 रकबा 1.16है0 किता 4 कुल रकबा 1.9200है0 वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास पर विवादित आराजी पर प्रार्थी के हिस्से 1/3 तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 09.12.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(खैरथल–तिजारा)	

9/12/24 वकील प्रार्थी उप०। वास्ते इंतजार तकमील दिनांक 11/02/25 को पेश हो। [signature]

11-2-25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी का मुकदमा में मदा हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भी अदम हाजरी पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसला शुमार होकर संलग्न मुकदमा रहे। [signature]